भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 261

सोमवार, 02 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

युवाओं में बेरोजगारी

261. श्री राहुल गांधी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के बीच व्याप्त बेरोजगारी के संकट को स्वीकार करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान 40 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए सृजित कुल नौकरियों का सामाजिक वर्ग-वार, लिंग-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्नातक डिग्री और व्यावसायिक प्रशिक्षण की योग्यता प्राप्त स्नातकों द्वारा रोजगार प्राप्त करने में लगने वाले औसत समय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आधिकारिक श्रम सांख्यिकी की विश्वसनीयता और प्रतिनिधित्व के संबंध में स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों द्वारा उठाई गई चिंताओं के आलोक में रोजगार और बेरोजगारी को मापने के मौजूदा ढांचे की कोई समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के स्नातक व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 17.2% से घटकर वर्ष 2023-24 में 13.0% हो गई है।

इसके अतिरिक्त, नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का रोजगार (स्नातकों सहित) दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 46.8%, वर्ष 2018-19 में 47.3%, वर्ष 2019-20 में 50.9%, वर्ष 2020-21 में 52.6%, वर्ष 2021-22 में

52.9%, वर्ष 2022-23 में 56.0% और वर्ष 2023-24 में 58.2% था। पीएलएफएस रिपोर्ट में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, लिंग-वार और श्रेणी-वार जानकारी उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार (युवाओं सहित) सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****